

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठारीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या 37/2023

उनवान

1. श्री कालू पुत्र श्री बालू माली नि० पीपली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरू लाल पुत्र रामसुख माली नि. पीपली तह. हमीरगढ।
2. उरजन पुत्र रामसुख माली नि. पीपली तह. हमीरगढ।
3. फुमा देवी पत्नि रामसुख माली नि. पीपली तह. हमीरगढ।
4. गोपाल लाल उर्फ कृष्ण गोपाल पुत्र उदयलाल ब्राह्मण नि. पीपली तह. हमीरगढ।
5. नन्द लाल पुत्र शंकर लाल ब्राह्मण नि. पीपली तह. हमीरगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 16.02.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. गंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 48 की आ.न. 1141 रकवा 0.8599 है०, आ.न. 1142 रकवा 0.8852 है०, कुल कित्ता 2 कुल रकवा 1.7451 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पडोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीय के मध्य प्ररनगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृपि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृपि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. गंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 48 की आ.न. 1141 रकवा 0.8599 है०, आ.न. 1142 रकवा 0.8852 है०, कुल कित्ता 2 कुल रकवा 1.7451 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ